

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 118 /2020

दिनांक 25.08.2020

श्रीमती संयोगिता (RJ1070), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर-II को दिनांक 31.08.2020 से 01.10.2020 तक 32 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 28.08.2020 से 30.08.2020 एवं 02.10.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री विनय डाबी (RJ1239), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर-II को श्रीमती संयोगिता के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर-II के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित हैं, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्री विनय डाबी (RJ1239) जिनको विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर-II के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/58/2016/3566

दिनांक 25.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 632 दिनांक 07.08.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती संयोगिता (RJ1070), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर-II
4. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-10, जयपुर महानगर-II
5. श्री विनय डाबी (RJ1239), विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर-II
6. विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एकट प्रकरण) क्रम-13, जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।


सहायक रजिस्ट्रार